



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 272]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 31, 2013/माघ 11, 1934

No. 272]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 31, 2013/MAGHA 11, 1934

गृह मंत्रालय

(आन्तरिक सुरक्षा-1 प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2013

का.आ. 294(अ).—केन्द्र सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2012 (2013 का 3) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा 1 फरवरी, 2013 को उस तारीख, जिस तारीख से अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे, के रूप में निर्धारित करती है।

[फा. सं. 17012/197/2012—सी एफ टी]

राकेश सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(IS-I Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2013

S.O. 294(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Unlawful Activities (Prevention) Amendment Act, 2012 (3 of 2013), the Central Government hereby appoints the 1st day of February, 2013, as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[F.No. 17012/197/2012-CFT]

RAKESH SINGH, Jt. Secy.